Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 29-11-2006
Participants : Barad Shri Jasubhai Dhanbhai

an>

Title: Need to restore land ownership rights to the Villagers of Junagarh District which was acquired by the forest Department of Gujarat.

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ (जूनागढ़) :महोदय, मेरे द्वारा दिनांक 04.05.2005 को नियम 377 के अधीन निम्नलिखित सूचना दी गई थी किः

गुजरात राज्य के वन विभाग ने जो सैन्चुरी भूमि को प्रोटेक्ट करने के लिए गुजरात के जूनागढ़ जिले के 47 रेवेन्यू गांवों के पास से रेवेन्यू भूमि ली थी और सन 1962, 63, 67 में सैटलमेंट कमिश्नर नियुक्त किये थे। इन सैटलमेंट कमिश्नर ने वा 1970 में अपनी रिपोर्ट गुजरात सरकार को सौंप दी और रिपोर्ट के अनुसार जूनागढ़ जिले के 47 गांवों से 2300 हेक्टेयर रेवेन्यू भूमि 1975 में प्रोटेक्ट वन के रूप में घोाित की गयी। सैटलमेंट कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक जो रेवेन्यू भूमि जिस जिस गांव से ली गयी है, उसी गांव के नागरिकों के अधिकार और हक बरकरार रखा जायेगा और किस किस हक को रखा गया है, उसका विवरण भी इस रिपोर्ट में है। सन 1975 में इस रेवेन्यू भूमि को प्रोटेक्ट वन क्षेत्र घोाि. किये जाने के 35 वाों के बाद भी गांव वालों को उनका हक नहीं दिया गया है।

इस सूचना के पश्चात पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री जी ने दिनांक 22.02.2006 डी.ओ. नं0 10-53/2005 एफ सी द्वारा जो जवाब हमें दिया गया है, उसके अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने गांव वालों को उनके हक और जरूरत की सभी सुविधायें दिये जाने का आदेश दिया है। लेकिन अभी तक राज्य सरकार द्वारा इन आदेशों पर अमल नहीं किया गया है। आज भी सभी गांव वाले अपने हक से वंचित हैं।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध हे कि राज्य सरकार को दिये गये आदेशों से अवगत कराया जाये और उन्हें शीघ्र ही उचित कार्यवाही करने के लिए आदेश दिए जायें।